फर्द अहकाम

न्यायालय ____________________

जगदीश ____________ बनाम छीतर

मुकदमा संख्या / वर्ष 4/2016 :

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	6/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वकील उभयपक्ष उप० [illegible] अन्य वक्ताओं ने [illegible] [illegible] हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] 18/6/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)
	18/6/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप० अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। तथा पत्रावली [illegible] [illegible] बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद पत्र : 72/2020
निर्णय दिनांक : 18.06.2024

1. जगदीश पुत्र म्होरू उर्फ म्होरीलाल, उम्र 61 वर्ष, जाति–बागडा ब्राह्मण, निवासी–ढाणी बडा खेत, ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

.......वादी

बनाम

1. छीतरमल
2. भैरूराम
3. गोपाल
4. रामप्रसाद

पिसरान स्व. रामनारायण

5. नवलकिशोर
6. दशरथ
7. परशुराम
8. दूलाराम

पिसरान स्व. गोविंदराम

9. श्रीमति सुशीलादेवी पत्नि स्व. श्योराम समस्त जाति मालीयान,, निवासीगण मालीयों की ढाणी, ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

.... प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188, 92–क आर0टी0एक्ट0

निर्णय

वादी की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कृषि भूमियों ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिस पर वादी अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 956 रकबा 0.20 हैक्टीयर चाही अव्वल पर कदीम से काबिजकाश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 957 रकबा 0.84 हैक्टीयर पर काबिज है। वादी की खातेदारी की भूमि उपरोक्त की उत्तरी सीमा पर बजमाने बुर्जुगान् से मेड डली हुई है अर्थात् खसरा नंबर 956 व 957 की भूमि सींवजोड भूमि है तथा अपनी–अपनी भूमियों में हमेशा से काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 झगडालू एवं आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति है तथा संख्याबल एवं भुजबल में अधिक होने से वादी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नंबर 956 रकबा 020 हैक्टीयर की उत्तरी सीमा में जबरन अतिक्रमण करते है तथा कभी फसल को नष्ट कर देते है तो कभी पेडों की जबरन कटाई कर देते है एवं वादी की मूल्यवान अचल सम्पति उपरोक्त को जबरन हडप करने की चेष्टा करते है तथा मना करने पर मारपीट की धमकी देते है। उक्त वादग्रस्त भूमियों का [illegible] वादी ने करवाया है किन्तु प्रतिवादीगण अपनी बेजा हरकतों से बाज नहीं [illegible] है [illegible] वादी को हैरान–परेशान करते है तथा वादी की फसल को भी नुकसान [illegible] प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है जिससे वादी प्रतिवादीगण को अपनी उक्त भूमि के बाबत् जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर[illegible] का अधिकारी है। दिनांक 08–12–2015 को प्रतिवादीगण वादी की उपरोक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि पर जबरन मेड तोडकर ट्रैक्टर चलाने लगे तो वादी के मना करने पर प्रतिवादीगण ने वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

को जान से मारने की धमकी दी इस पर वादी ने पुलिस थाना मुहाना मंडी में फोन किया तो मौके पर पुलिस ने आकर प्रतिवादीगण को चेतावनी दी तब जाकर प्रतिवादीगण अपनी हरकतों से बाज आये लेकिन दूसरे दि नही फिर वादग्रस्त भूमि पर पेडों को काटने लगे। वादी के द्वारा मना करने पर कहने लगे कि पुलिस और कोर्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते तुम्हें जो करना है कर लो जिससे दावा स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना लाजिमी हुआ। वादकारण दिनांक 08-12-15 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर जबरन अतिक्रमण करने की चेष्टा करने एवं दूसरे दिन पेड काटने व बेदखल करने की धमकी देने से उत्पन्न होकर दावा स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ। वादी अपनी तन्हा खातेदारी एवं कब्येकाश्त की उपरोक्त भूमि खसरा नंबर 956 की उत्तरी मेड/सीमा पर प्रतिवादीगण को जबरने अतिक्रमण न करने एवं फसल को नुकसान न करने एवं वादी की भूमि में खडे पेडों को न काटने के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

वादी प्रार्थी है:-

क. वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादर फरमाई जावे वादपत्र के मद नंबर 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 956 रकबा 0.20 हैक्टीयर चाही अव्वल वाकै ग्राम मुहाना गिरदावर सर्किल मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर की उत्तरी भुजा में के वादी के उपयोग-उपभोग में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 किसी प्रकार की दखलन्दाजी, बेजामजाहमत, जबरन बेदखल न स्वंय करे ना अन्य किसी से करावे तथा मेड, फसल व पेडों को खुर्द-बुर्द न करे न नुकसान पहुँचाये, वादग्रस्त भूमि के मौके की स्थिति में किसी प्रकार का हेर-फेर, परिवर्तन, न स्वंय करे ना अन्य किसी से करावे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबन्द फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। पत्रावली पेश हुई, उभयपक्षकारान उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तहरीर किये गये है, असत्य व बेबुनियाद होने के कारण अस्वीकार है। सत्यता यह है कि भूमि खसरा नम्बर 956 रकबा 0.20 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 957 रकबा 0.84 हैक्टेयर के बीच कोई सीमा जोड़ नही है। उक्त दोनो खसरा नम्बरान् की कृषि आराजीयात् पर प्रतिवादीगण का कब्जा व उपयोग-उपभोग अर्से-दराज से चला आ रहा है। सत्यता यह है कि हाल खसरा नम्बर 956 रकबा 0.20 हैक्टेयर के साबिक खसरा नम्बर 501-502/1573 रकबा 16 बीघा की खातेदारी सीताराम, शंकरलाल, रामलाल, राधेश्याम, सुरेन्द्र पुत्रान् कल्याण सहाय माली निवासी सांगानेर के नाम थी। जिन्होने अपनी उक्त साबिक खसरा नम्बरान् की भूमि को पृथक-पृथक पंजीकृत विक्रय पत्रों द्वारा रामशरण, रामस्वरूप, रामप्रकाश, अवधेश कुमार पुत्रान् श्री गोपी बागड़ा निवासी खोखावास, तहसील सांगानेर को विक्रय कर दी। वादी के पूर्वजों द्वारा बंदोबस्त के दौरान के राजस्व अधिकारियों से सांठ-गांठ कर गलत तरीके से हाल खसरा नम्बर 956 रकबा 0.20 हैक्टेयर की भूमि को स्वयं के नाम से दर्ज करवा ली गयी... की भूमि पर वादी एवं उसके पूर्वजों का कभी-भी कब्जा-काश्त व उपयोग-उपभोग नही रहा है। केवल मात्र राजस्व भू-अभिलेखों में गलत इन्द्राज के आधार पर वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वाद पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित कथन झूठे, असत्य व निराधार होने से अस्वीकार है। जबकि उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण अर्से-दराज से काबिज काश्त होकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे है। विस्तृत जवाब उपरोक्त मद में अंकित किया जा चुका है, पुनरावृत्ति की आवश्यकता नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

है। वाद पत्र के मद संख्या 3 में वर्णित घटनाक्रम असत्य व कपोल कल्पित होने के कारण अस्वीकार है। वादी द्वारा केवल मात्र वाद प्रस्तुत करने के उद्देश्य से झूठा वाद कारण अंकित करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है। वाद पत्र के मद संख्या 4 में वर्णित वाद कारण असत्य व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि पर अर्से–दराज से तन्हा कब्जा–काश्त च उपयोग–उपभोग होने के कारण उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन अतिक्रमण करने की बात स्वमेव ही असत्य व निराधार है। वाद पत्र के मद संख्या 5 में वर्णित कथन असत्य व निराधार होने से अस्वीकार है। वादी का विवादग्रस्त खसरा नम्बर की भूमि पर कभी–भी कब्जा–काश्त व उपयोग–उपभोग नही होने के कारण वादी का वाद मय हर्जे खर्चे खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र के मद संख्या 6, 7 में वर्णित कथन कानूनी होने से जवाब मोहताज नही है। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रस्तुत जवाब दावे को रिकार्ड पर लिया जाकर वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया

पत्रावली में बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता की सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया। प्रतिवादीगण ने बहस में अपनी ओर से पेश जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं वाद का वाद खारिज करने का निवेदन किया।

बहस वादी अधिवक्ता पर मनन किया गया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादी की ओर से पेश वाद स्वीकार किया गया। तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थना पत्र में अंकित वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराने के आदेश दिये जाते है। उभयपक्षकारान की भूमि का सीमा निर्धारण की जावे। पत्थरगढी होने तक उभयपक्ष मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:37 IST
Reason: SelfAttested